दिनांक- 11.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 706/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 11.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 11.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 707/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर – थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 11.09.2026 को उ0नि0 अभिषेक कुमार द्वारा मय हमराही पुलिस बल के द्वारा मु0नं0 - 600366/10 से सम्बन्धित दो नफर वारंटी अभियुक्तगण 1. गोविन्द्र विश्वकर्मा पुत्र विन्दावन विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी मु0 छजमनपुरा, भटियाना थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, 2. वीरेन्द्र शर्मा पुत्र मुन्ना शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी नरसिंह कुटी के पास मु0 छजमनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा को मु0 छजमनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभि0गण गोविन्द विश्वकर्मा व वीरेन्द्र शर्मा उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

1. गोविन्द्र विश्वकर्मा पुत्र विन्दावन विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी मु0 छजमनपुरा, भटियाना थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. वीरेन्द्र शर्मा पुत्र मुन्ना शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी नरसिंह कुटी के पास मु0 छजमनपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा
2. हे0का0 अजय कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा